

संयुक्त निरीक्षण प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 14.02.2019 को जनपद बरेली में बरेली-शाहजहाँपुर मार्ग (राष्ट्रीय राज्य मार्ग सं०-24) किमी० 244-245 के मध्य 0.097035 संरक्षित वन भूमि बिना किसी भी वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग हेतु प्रस्तावित सम्पर्क मार्ग के कार्य का निरीक्षण प्रस्तावक विभाग के श्री बिपिन कुमार, पार्टनर, कॉम्प्यूटेन्ट बिल्डर्स एंड डेवलपर्स एवं श्री भारत लाल, प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बरेली द्वारा किया गया। जिसमें जनपद बरेली में संरक्षित वन भूमि 0.097035 है० प्रभावित हो रही है एवं किसी भी वृक्ष का पातन निहित नहीं है।

निरीक्षण में पाया गया कि प्रभावित क्षेत्र में पुरातात्विक महत्व/हेरीटेज स्थल/रक्षा संस्थान अथवा महत्वपूर्ण स्मारक स्थल नहीं है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि प्रभावित क्षेत्र में कोई दुर्लभ/कटापन्न एवं कोई विशिष्ट पादप अथवा जीव प्रजाति नहीं पायी जाती है। प्रस्तावित कार्य हेतु संरक्षित वन भूमि की मॉग न्यूनतम एवं अपरिहार्य है एवं इसके अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं है। प्रस्तावक द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम - 1980 का उल्लंघन किया गया है।

Competent Builders & Developer

(बिपिन कुमार)

पार्टनर

कॉम्प्यूटेन्ट बिल्डर्स एंड डेवलपर्स

(भारत लाल)

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग,
बरेली।